

**न्यायालय:-राहुल छत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तसहील-राजेन्द्रग्राम, जिला-अनूपपुर(म0प्र0)**

**प्रकरण क0-777 / 22
अपराध कमांक :-242 / 22**

म.प्र. राज्य, द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र अमरकंटक, जिला अनूपपुर,म.प्र. :-**अभियोगी**

विरुद्ध

नीरज कुमार यादव, पिता-श्यामलाल यादव, उम्र-24 वर्ष, निवासी ग्राम-जुहिली, थाना-राजेन्द्रग्राम,
जिला-अनूपपुर म0प्र0 :-**अभियुक्त**

आरक्षी केन्द्र अमरकंटक के अ.क.-242 / 2022
अंतर्गत धारा-185 भा0द0स0 एवं 3 / 181, 132 / 177 मोटरयान अधिनियम

// निर्णय //

(आज दिनांक 14.10.2022 को घोषित)

- 1- अभियुक्तगण के विरुद्ध 185 भा0द0स0, एवं 3 / 181, 132 / 177 मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध विवरण विरचित किया गया, जिनकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाये जाने पर अभियुक्त ने घटना दिनांक 13.10.2022 को उक्त अपराध की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति की है। अतः अभियुक्त को उक्त अपराध के तहत दोषी ठहराया जाता है।
- 2- प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधि0 के तहत दोषमुक्त न करते हुए अभियुक्त जागेश्वर कश्यप को धारा **185** मो0अधि0 एवं एवं 3 / 181, 132 / 177 मो0 अधि0 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं कमशः **10000, 5000, 500 / -** रुपये कुल **15500 / -** रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में अपराध के लिए 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे। अर्थदण्ड की राशि आहतगण को प्रदान किया जावे।
- 3- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसायकिल चेचिस नं0 एमबीएलएचसी028के9एच57006 पंजीकृत स्वामी/आवेदक नीरज कुमार यादव को प्रदान किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्त संपत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(राहुल छत्री)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राजेन्द्रग्राम

(राहुल छत्री)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राजेन्द्रग्राम